भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3821

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

3821. श्री रमेश अवस्थीः

श्री जगदम्बिका पालः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के महानिदेशक कार्यालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई जांच के क्या परिणाम रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में गुटबंदी (कार्टेलाइजेशन) को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रतिस्पर्धा-विरोधी पद्धतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 26(1) के तहत पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2024-25 (13.03.2025 तक) में 49 मामलों में जांच शुरू की। इन 49 मामलों में से, महानिदेशक (डीजी) ने 31 मामलों में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और 18 मामले डीजी के समक्ष जांच के लिए लंबित हैं। जिन 31 मामलों में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, उनमें से आयोग ने 11 मामलों में अंतिम आदेश पारित कर दिया है और 20 मामले आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं।

(ख): नागर विमानन, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य और फार्मा, आयरन एंड स्टील, विद्युत, रेलवे, विविध आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्टेलाइजेशन से संबंधित इक्कीस (21) मामले पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2024-25 (13.03.2025 तक) में डीजी को जांच के लिए भेजे गए थे। इन मामलों में से 11 मामलों में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और 10 मामलों की जांच डीजी के समक्ष चल रही है। 01 मामले में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है और 10 मामले आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं।

.....2/-

प्रतिस्पर्धा (संशोधन), अधिनियम, 2023 ने अधिनियम की धारा 46 के ढांचे के भीतर "कम शास्ति प्लस" की अवधारणा पेश की। नतीजतन, 20.02.2024 को, 2009 के विनियमों की जगह सीसीआई (कम शास्ति) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया गया, और कार्टेल के प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए "कम शास्ति प्लस" (एलएलपी) तंत्र शुरू किया गया। एलपीपी तंत्र को एक कार्टेल के संबंध में मौजूदा कम शास्ति आवेदक को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, जो एक अन्य कार्टेल के बारे में पूर्ण सत्य और महत्वपूर्ण प्रकटीकरण देने के लिए था, जो अब तक सीसीआई के संज्ञान में नहीं था।

कार्टेल जांच के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए, हब एंड स्पोक तंत्र को संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 (3) में परंतुक पेश करके शामिल किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि उद्यमों का एक उद्यम या संघ या व्यक्तियों का संघ तथापि समान या समरूप व्यापार में शामिल नहीं है, यदि वह इस तरह के समझौते को आगे बढ़ाने में भाग लेता है या भाग लेने का इरादा रखता है तो उन्हें भी इस उप-धारा के तहत समझौते का हिस्सा माना जाएगा।

(ग): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों (धारा 3), प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग (धारा 4) का निषेध करता है और संयोजनों अर्थात् विलय एवं अर्जन (धारा 5 और 6) के विनियमन का प्रावधान करता है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई है और सीसीआई को इस तरह के प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के लिये उचित उपाय जारी करने का अधिकार देता है। अपनी स्थापना के बाद से, सीसीआई अधिनियम को लागू कर रहा है और बाजारों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। इसने उन फर्मों के खिलाफ विभिन्न निर्णय और आदेश जारी किए हैं जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में संलग्न फर्मों पर जुर्माना लगाया है और अन्य उपाय जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त, सीसीआई अपने प्रवर्तन और हिमायत अधिदेश के माध्यम से विकृतियों को समाप्त करने के लिए बाजार सुधार करने के अतिरिक्त, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने का प्रयास करता है।

*****